राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR. SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN TEL. 0141-2227033)

क्रमांक: एफ61(98)SSAAT/ Monitoring/2020/2462 दिनांक: 31/3/21

कार्यालय आदेश (आदेश क्रमांक ...31..... / 2021)

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में आदेश क्रमांक एफ.61(1)SSAAT/BankAccount / 2020–21 / 275 दि. 28.01.2021 (आदेश क्रमांक 28 / 28.01.2021), समसख्यक आदेश कमांक 1958–1982 दिनांक 16.03.2021 (आदेश क्रमांक 29 / 16.03.2021) एवं समसंख्यक आदेश कमांक 2042–2065 दिनांक 17.03.2021 (आदेश कमांक 30 / 16.03.2021) द्वारा राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म के माध्यम से ई–पंचातय एप्लीकेशन पर सामाजिक अंकेक्षण मानदेय की व्यवस्था कायम की गई है। माह दिसम्बर 2020 तक के समस्त भुगतान सोसायटी मुख्यालय जयपुर द्वारा एवं माह जनवरी 2021 (कतिपय भुगतानों के अलावा) समस्त भुगतान संबंधित विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त परिदृश्य में जिलों के प्रभारी अधिकारी–सहायक लेखाधिकारी गण को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–

(1) माह दिसम्बर, 2020 में सम्पादित किये गये समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (CSA) के मानदेय भुगतान हेतु जो भी बकाया कार्यवाही यथा संशोधित प्रपत्र–8 या समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना / पूर्ण करवाना आदि अपेक्षित हैं, उनकी आवश्यकतानुसार पूर्ति करवाकर संबंधित ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों को यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करावें।

(2) माह जनवरी, 2021 से किये जाने वाले समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण मानदेय का भुगतान सभी पंचायत समितियों में आगामी 3 दिवस में प्रारम्भ हो जावे, इस हेतु समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों / विकास अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही करवायी जावे तथा शत प्रतिशत पंचायत समितियों में राजस्थान पेमेंट पोर्टल से भुगतान प्रारम्भ होने तक रिपोर्ट **(संलग्न प्रपत्र "द" में)** अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को दी जावे।

जिन विकास अधिकारियों का ई–पंचायत, राजस्थान पेमेंट पोर्टल (RPP) पर पंजीयन होना शेष हो, इनका अविलम्ब (अधिकतम आगामी 3 दिवस में) पंजीयन कराया जावे और भुगतान कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाने की कार्यवाही करावें।

जो भी भुगतान पंचायत समिति द्वारा किये जावे उनकी समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, इसकी मोनीटरिंग संबंधित प्रभारी अधिकारी–सहायक लेखाधिकारी द्वारा की जावेगी अर्थात् बिना समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सोसायटी मुख्यालय प्राप्त हुए कोई भी भुगतान किया जाता है तो उस विकास अधिकारी से तुरन्त कारण पूछा जावे और दुरुस्ती करायी जावे ताकि वास्तविक कार्य का ही भुगतान हो।

(3) मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा RTI दिवस पर की गई घोषणा के अनुरुप वर्ष 2020–21 में क्रियान्वित समस्त कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2021–22 में सम्पादित किया जावेगा। अतः सभी प्रभारी अधिकारी–सहायक लेखाधिकारीगण अपने जिलों के नरेगा योजना में वर्ष 2020–21 में स्वीकृत समस्त कार्यों की सूची अनुसार उनका समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (नियमित सामाजिक अंकेक्षण, यदि प्रारम्भ हो जावे तो) सम्पादित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके लिये नियमित रुप से समीक्षा (Monitoring) कराते हुए जिलों को निर्देशित भी करवाते रहेंगे। इसकी पालना रिपोर्ट मा. मुख्यमंत्री कार्यालय को भी उनके पत्रांक मु.मं. / निदेशक(सां.) / घोषणा / 2021 दिनांक 03.03.2021 की पालना में पठायेंगे।

(4) जो भी समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टस सोसायटी मुख्यालय पर प्राप्त हो रही है उन्हें नरेगा राजस्थान की वेबसाईट पर नियमित रुप से अपलोड करने की कार्यवाही प्रोग्रामर, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा करवायी जावेगी।

जिन अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स अभी मुख्यालय को अप्राप्त हैं। उन्हें प्राप्त कराने हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी–सहायक लेखाधिकारी अविलम्ब पत्राचार एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रयास करके आदिनांक रिपोर्टस प्राप्त करायेंगे।

(4) जो समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टस प्राप्त हो चुकी हैं, संबंधित प्रभारी अधिकारी–सहायक लेखाधिकारी उनका अध्ययन करके महत्वपूर्ण/गम्भीर अंकेक्षण आपत्तियों का ब्यौरा जिले की पत्रावलियों पर प्रस्तुत करके उसमें सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करायेंगे। जिलों की गम्भीर अनियमितता से संबंधित सूचना संकलित कर एक प्रति वसूली प्रभारी श्री प्रदीप काला को उपलब्ध कराई जावे।

(5) जिलों से सभी समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टस की अनुपालना रिपोर्टस निर्धारित <u>प्रपत्र–10 एवं 10 (अ)</u> में प्राप्त करवाकर लगातार प्रभारी अधिकारी–सहायक लेखाधिकारी द्वारा उनका निस्तारण करवाया जावेगा।

उपरोक्त सभी कार्यवाही की रिपोर्टस प्रत्येक जिलेवार संबंधित प्रभारी अधिकारी–सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रति सोमवार प्रपत्र 'अ' 'ब' 'स' एवं 'द' में अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत की जावेगी।

लेखाधिकारी (सामाजिक अंकेक्षण) इन कार्यों का पर्यवेक्षण कर सम्पादित करायेंगे।

31.3.2021

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT

क्रमांकः एफ61(1)SSAAT/Bankaccount/2020-21/2463-2470 जयपुर दिनांकः 31/3/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, **(SSAAT)** राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक **(SSAAT),** राजस्थान, जयपुर।
3. कार्यालयाध्यक्ष एवं लेखाधिकारी (प्रशासन)/लेखाधिकारी (सा.अं.), **(SSAAT)** वास्ते पालनार्थ।
4. समस्त सहायक लेखाअधिकारी/जिला प्रभारी अधिकारी **(SSAAT)** वास्ते पालनार्थ।
5. प्रोग्रामर, **(SSAAT)** वास्ते पालनार्थ।
6. समस्त कर्मचारी/अधिकारी पालनार्थ
7. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
लेखाधिकारी, (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

गम्भीर अनियमिताओं का विवरण

प्रपत्र (अ)

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	अंकेक्षण तिथि	प्राप्त गम्भीर अनियमिता का संक्षिप्त विवरण	वसूली योग्य राशि	वसूली हेतु जिलों को लिखा जाने वाला पत्र का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

हस्ताक्षर

जिला प्रभारी अधिकारी–सहायक लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

साप्ताहिक रिपोर्ट प्रगति (दिनांक ....)

नाम प्रभारी अधिकारी ....

प्रपत्र (ब)

माह दिसम्बर 2020 के CSA मानदेय भुगतान की स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	अंकेक्षित ग्राम पंचायत (GPs)की संख्या	भुगतान की गई की GPs संख्या	बकाया की GPs संख्या	बकाया रहने के कारण	
					प्रपत्र–8 बकाया	CSA रिपोर्ट बकाया
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						

हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी–सहा. लेखाधिकारी

DIR official/PA/performa11A/2020-21

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

साप्ताहिक रिपोर्ट प्रगति (दिनांक ....)

नाम प्रभारी अधिकारी .... प्रपत्र (स)

माह जनवरी 2021 से समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स प्राप्ति एवं अनुपालना (प्रपत्र–10 एवं प्रपत्र 10 (अ)) की स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	अंकेक्षित GPs	GPs की संख्या		वर्ष 2020–21 में स्वीकृत / अंकेक्षित कार्यों की संख्या			अनुपालना प्राप्ति की स्थिति (GPs की संख्या)		किये गये प्रयासों का विवरण
			CSAरिपोर्ट्स प्राप्त	CSA रिपोर्ट्स बकाया	स्वीकृत कार्य	अंकेक्षित कार्य	बकाया कार्य	प्रपत्र–10 एवं प्रपत्र 10 (अ) प्राप्त	प्रपत्र–10 एवं प्रपत्र 10 (अ) बकाया	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

नोटः– माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल 2021 आदि की माहवार रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी–सहा. लेखाधिकारी

DIR official/performa10&10A/2020-21

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

समस्त पंचायत समितियों द्वारा राजस्थान पेमेंट पोर्टल पर भुगतान प्रारम्भ होने की सूचना

प्रपत्र (द)

क्र.सं.	जिला का नाम	कुल पंचायत समितियों की संख्या	ई पंचायत RPP पर भुगतान प्रारम्भ हो चुका उन पंचायत समितियों की संख्या	शेष बची पंचायत समितियों की संख्या	विशेष विवरण	OIC AAO के नाम, हस्ताक्षर	
						नाम	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
	कुल योग						

लेखाधिकारी (सा. अंके.)